न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : योगेश कुमार डागुर R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या : 02/164
तारीख दायरा : 18.12.2017

उनवान

1. रोशन पुत्र कमल खॉ जाति मेव निवासी ईमलाली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

.....सायल।

बनाम

1. मुहरखां पुत्र बागसिंह जाति मेव।
2. मल्लू पुत्र मुहरखां जाति मेव।
3. सल्लु पुत्र मुहरखां जाति मेव निवासीयान् ईमलाली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर।
5. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर अलवर।

....गैर सायलान।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गगत धारा 212 आर.टी.एक्ट)

उपस्थितिः— 1. श्री रमेश चन्द गुर्जर, अधिवक्ता .....सायल की ओर से ।
2. श्री नितिन जैन, अधिवक्ता .....गैर सायलान की ओर से।

न्यायालय द्वारा :—

:: निर्णय :: दिनांकः 07.2.2018

1. सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि आराजी ख.न. हाल 248 रकबा 02 बीधा 16 बिस्वा वाके ग्राम ईमलाली में स्थित है जो सायल की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। सायल की उक्त आराजी में गैर सायलान द्वारा तर्फ उत्तर अनाधिकृत रूप से 2 बिस्वा भूमि में निर्माण कर कब्जा कर रखा है। ख.न. 265 जोकि आम रास्ता है उसमें भी कुछ हिस्से पर रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है तथा सायल के मना करने पर झगडा करने पर अमादा है। आराजी मुतनाजा ख.न.248 व ख.न.265 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि से गैर सायलान का कोई सरोकार व सम्बन्ध नहीं है लेकिन गैर सायलान ने लठठ्बल पर माह दिसम्बर 2016 में आराजी मुतनाजा में प्रवेश कर तर्फ उत्तर को 2 बिस्वा भूमि में दीवार व कमरा निर्माण किया जा रहा था जिसके बारे में तहसीलदार लक्ष्मणगढ के यहा प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर गैर सायलान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट बनाई और मौके पर निर्माण होना पाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०

गैर सायलान अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण को हटाने से साफ इन्कार कर रहे है तथा और निर्माण करने पर अमादा हो रहे है। यदि गैर सायलान ने सायल की खातेदारी की भूमि में अनाधिकृत रूप से निर्माण कर लिया तो सायल को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। सायल ने विवादित आराजी में गैर सालयान को कोई निर्माण नहीं करने बाबत अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

2. सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जर्ये नोटिस तलब किया गया। गैर सायलान द्वारा न्यायालय में उपंसजात होकर इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि आराजी मुतनाजा ख.न. 248 वाके ग्राम ईमलाली आपसी बटंवारा में गैर सायल मुहरखां के हिस्से आयी जिस पर गैर सायलान करीब 60 साल से काबिज चला आ रहा है तथा इस आराजी के बदले में वादी रोशन के पास गैर सायल न.1 के नाम दर्ज आराजी ख.न. 101 वाके ग्राम ईमलाली है। ख.न.248 पर सायल का कब्जा काश्त नहीं है। मुखालफाना कब्जे के आधार पर भी उक्त नम्बरान् की बाबत गैर सायलान को खातेदारी अधिकार भी कानूनन प्राप्त हो गये है तथा ख.न.265 रास्ता की भूमि है जिस पर गैर सायलान द्वारा कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है। सायल का प्रथम दृष्टया केस नहीं बनता है और ना ही सायल को कोई अपूर्णीय क्षति का अन्देंशा है। अन्त में गैर सायलान द्वारा प्रार्थना पत्र सायल खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

3. हमने प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता सायल का कथन है कि विवादित आराजी सायल के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। गैर सायलान का उक्त आराजी से कोई सरोकार व सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है लेकिन गैर सायलान बलपूर्वक सायल की खातेदारी की आराजी में तर्फ उत्तर 02 बिस्वा भूमि में निर्माण कर कब्जा कर रखा है तथा और निर्माण करना चाहता है जिसका गैर सायलान को कोई अधिकार नहीं है। इनके द्वारा किये गये बलपूर्वक कब्जे को बेदखल करने बाबत मेरे द्वारा बेदखली का वाद प्रस्तुत किया गया है। यदि गैर सायलान ने जबरन सायल की आराजी में प्रवेश कर निर्माण कर किया तो सायल के अधिकार प्रभावित होगें साथ ही सायल को अपूर्णीय क्षति भी होगी। सायल विवादित आराजी का रिकाडेर्ड खातेदार है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष में बनता है। उनके द्वारा आर.आर.डी. 2016 पार्ट–1 पेज 113 , आर.आर.डी. 1987 पेज 330 एवं आर.आर.डी. 1998 पेज 550 व आर.आर.डी. 2004 पेज 112 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृषित करते हुये प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार करते हुये प्रकरण में जारी शुदा अस्थाई निषेघाज्ञा दिनांक 18.12.2017 को ताफैसला दावा कन्फर्म किये जाने का निवेदन किया।

उप खण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०

4. गैर सायल के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित आराजी ख.न. 248 गैर सायलान के पास आपसी घरू बटंवारे में आयी है जिस पर वह अर्सा करीब 60 साल से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। ख.न.248 व 265 में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि जो निर्माण हुआ है वह कृषि सुधार हेतु ख.न. 246 व 248 की मेड से लगता हुआ ख.न. 246 में किया गया है। ग्रामवासियान् द्वारा जो मेजरनामा तहरीर किया गया है उसके अनुसार भी ख.न. 248 पर गैर सायलान का कब्जा काश्त है। इस प्रकार जब सायल का ख.न. 248 पर कब्जा ही नहीं है तो प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल का नहीं बनता है। यदि अस्थाई निषेघाज्ञा से जर्ये गैर सायलान को पाबन्द किया जाता है तो निश्चित रूप से गैर सायलान को ही अपूर्णीय क्षति होगी। अन्त में उनके द्वारा सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

6. इस प्रार्थना पत्र में सर्वप्रथम न्यायालय को प्रथम दृष्टया प्रकरण तय करना है :– इस मामले में सायल का कथन है कि विवादित अराजी ख.न. 248 रकबा 2 बीधा 16 बिस्वा सायल की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी स. 2072 में अंकित इन्द्राज से सायल के उक्त कथन की पुष्टि होती है अर्थात विवादित आराजी सायल खातेदारी की भूमि है। जहां गैर सायल का कब्जे का प्रश्न है गैर सायलान का कथन में उक्त आराजी उन्हे अर्सा करीब 60 साल पूर्व आपसी बटंवारे में मिली थी जिस पर वह काबिज चले आ रहे है। सायल के इस कथन की पुष्टि राजस्व अभिलेख से नहीं होती है। चूंकि राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि का सायल रिकार्डेड खातेदार है इसलिए ऐसी स्थिति में आपसी बटंवारे का कथन तर्कसंगत नहीं है। केवल मात्र यह कथन कर देना कि यह आराजी आपसी बटंवारे में उन्हे मिली है बिना प्रमाणित किये यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है। सायल का कथन है कि गैर सायलान द्वारा तर्फ उत्तर 02 बिस्वा भूमि पर बलपूर्वक निर्माण किया जा रहा है। सायल के इस कथन की पुष्टि पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.12.2016 से होती है। मौका रिपोर्ट के अनुसार ख.न. 246 व 248 में मौके पर निर्माण होना पाया गया है तथा ख.न. 248 में पक्का निर्माण लगभग 7 फुट उचॉई की दिवार करके कमरे व दुकानों का निर्माण मुहरखां वगैरा (गैरसायलान) द्वारा किया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में सायल का यह कथन पूर्ण रूपेण साबित हो जाता है कि गैर सायलान द्वारा ख.न. 248 में अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। राजस्व अभिलेख के अनुसार ख.न. 248 सायल की खातेदारी की भूमि है जिससे गैर सायलान का कोई वास्ता व सरोकार नहीं है।

उप खण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०

मौका रिपोर्ट के अनुसार गैर सायलान का यह तथ्य तो सही है कि उनके द्वारा ख.न. 246 में निर्माण किया जा रहा है परन्तु इसके साथ ही यह तथ्य भी स्पष्ट रूप से साबित होता है कि ख.न. 246 के साथ ख.न. 248 में भी गैर सायलान द्वारा निर्माण किया गया है जबकि ख.न. 248 में उन्हे निर्माण करने का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि विवादित आराजी का सायल रिकार्डेड खातेदार है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण भी सायल के पक्ष में निहित है।

7. जहां तक अपूर्णीय क्षति का प्रश्न है :–इस सम्बन्ध में सायल का कथन है कि गैर सायलान द्वारा उसकी आराजी में बलपूर्वक जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है। पटवारी हल्का की मौका रिर्पोट दिनांक 19.12.2016 के अनुसार ख.न. 248 में 7 फुट उचांई की दिवार करके कमरे व दुकानों का निर्माण कार्य गैर सायलान द्वारा किये जाने का तथ्य सामने आया है। यदि विवादित आराजी ख.न. 248 पर इसी प्रकार निर्माण कार्य करते गये और उन्हे अस्थाई निषेघाज्ञा से नहीं रोका गया तो निश्चित रूप से सायल को ही अपूर्णीय क्षति कारित होगी तथा एक रिकार्डेड खातेदार के अधिकारों का हनन होगा। यद्यपि गैर सायलान ने ख.न.246 में निर्माण कार्य किया जाना बताया है जो गैर सायलान की खातेदारी की भूमि है परन्तु ख.न.248 से गैर सायलान का कोई सरोकार व सम्बन्ध नहीं है इसलिए ख. न.248 पर गैर सायलान को निर्माण कार्य नहीं करने हेतु अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किये जाने पर किसी प्रकार की क्षति कारित होने की सम्भांवना नहीं है। अतः अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी सायल के पक्ष में निहित है।

8. जहां तक सुविधा सन्तुलन का प्रश्न है :–सायल के विद्वान अधिवक्ता का कथन रहा है कि एक रिकार्डेड खातेदार के पक्ष में अस्थाई निषेघाज्ञा जारी नहीं की गई तो सायल को ही असुविधा का सामना करना पडेगा। जबकि गैर सायल का तर्क है कि यह निर्माण उसके द्वारा ख.न.246 में किया जा रहा है। चूंकि जब स्वंय गैर सायल ख.न.248 में कोई निर्माण कार्य किये जाने से इन्कार कर रहे है तो ऐसी स्थिति ख.न.248 पर अस्थाई निषेघाज्ञा विरूद्व गैर सायलान जारी किये जाने पर गैर सायलान को कोई असुविधा होने का प्रश्न ही नहीं रह जाता है। ख. न. 248 सायल की खातेदारी की भूमि है और ख.न.265 आम रास्ते की भूमि है उक्त दोनों नम्बरान् पर गैर सायलान द्वारा निर्माण कार्य किये जाने से निश्चित रूप से एक खातेदार को असुविधा कारित होगी साथ ही आम रास्ते की भूमि में निर्माण करने से आमजन को भी असुविधा का सामना करना पडेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०

आदेश

9. प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 18.12.2017 को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाकर गैर सायलान को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि आराजी ख.न.हाल 248 रकबा 02 बीधा 16 बिस्वा, एवं ख.न. 265 रकबा 1.15 बीधा (गैर मुमकिन रास्ता) वाके ग्राम इमलाली में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें।

(योगेश कुमार डागुर)
उप खण्ड़ अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०

10. निणर्य आज दिनांक 07.2.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
उप खण्ड़ अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) राज०